कार्यालयः— अंचल अधिकारी, सिमरिया।

—:आदेशः—

विविध वाद सं0—18/25—26

श्री रंजन कुमार सिंह वगै, मौजा—मुरवे
थाना—सिमरिया, जिला—चतरा।

बनाम्

श्री बैजनाथ सिंह वगै0, मौजा—मुरवे
थाना—सिमरिया, जिला—चतरा।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख—सहित
1	2	3
	अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित किया गया है। आवेदक— रंजन कुमार सिंह वगै0, पिता—सुरेश सिंह, मौजा—मुरवे के द्वारा आवेदन देकर सूचित किया गया है कि थाना नं0—145, खाता सं0—31, प्लॉट सं0—992,993,994 रकवा—3.34 ए0 मधे रकवा—0.08 ए0 का बैजनाथ सिंह वगै0, पिता—बहोरी सिंह, कैलाश सिंह वगै0, पिता—ब्रहमु सिंह, अरूण सिंह वगै0, पिता—प्रेमसागर सिंह, शांति देवी वगै0, पति—कैलाश सिंह वगै0, मानी देवी, पति— स्व0 लाखो सिंह, अनिता देवी, पति—बसंत सिंह, अवधेश सिंह, पिता— स्व0 रूदो सिंह द्वारा जाली खरीद बिक्री कागजात बनाकर एवं जाली वंशावली बनाकर शिवपुर कठौतिया रेलवे लाईन में अधिगृहित भूमि का मुआवजा लिया गया है। इस संबंध में दोनो पक्षों को नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजात की मांग की गई एवं उक्त आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से जांच प्रतिवेदन मांग की गई। वर्तमान राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा—मुरवे, थाना नं0—145 अंतर्गत खाता सं0—31, प्लॉट सं0—992, 993, 994 वो अन्य कुल रकवा—20.14 ए0 भूमि का सर्वे खतियान चौधरी रागो सिंह के नाम से दर्ज है। तथा पंजी—II के पृष्ठ सं0—70/1 पर हिरो सिंह वगै0 के नाम से ऑनलाईन लगान रसीद वर्ष—2021—22 तक निर्गत है। सर्वे खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की भूमि है। द्वितीय पक्ष के बैजनाथ सिंह वगै0 को मुआवजा भू—अर्जन कार्यालय चतरा के अमीन द्वारा रैयत के दखल—कब्जा के अनुसार भू—अर्जन कार्यालय, चतरा द्वारा मुआवजा नोटिस किया गया। नोटिस के आधार पर अंचल कार्यालय, सिमरिया द्वारा मुआवजा हेतु भू—धारण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, जिसमें संबंधित रैयत द्वारा न्यायालय से अभिप्रमाणित शपथ—पत्र भी समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित वंशावली व द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित वंशावली में भिन्नता है एवं संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि यह मामला हक—हकियत है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय में हीं संभव है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेखापित एवं संशोधित। 31/7/25 अंचल अधिकारी, सिमरिया। 31/7/25 अंचल अधिकारी, सिमरिया।	

Digitally signed by Gourav Kumar Roy
Date: 2025.10.24 17:29:23 +05:30
Location: 192.168.1.1

Scanned by CamScanner